27/19

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 8 NOV 2019

FD 961641

राजकीय कोषागार, फिरोजाबाद

IDENTIFIED

ADVOCATE

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 13.11.2019 को श्री सतेन्द्र बघेल पुत्र श्री ख्यालीराम बघेल निवासी–सिकरारी पोस्ट–कोटकी, तहसील–टूण्डला जिला–फिरोजाबाद द्वारा निष्पादित किया गया है।

1. ट्रस्ट का नाम : शिव बाबा फाउण्डेशन
2. ट्रस्ट का पता : 5 बघेल मार्केट, एटा रोड, सिकरारी टूण्डला जिला फिरोजाबाद (उ0प्र0)
3. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

शाखा कार्यालयः– ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकती हैं।

4. ट्रस्ट में लगाया गया धन :–

ट्रस्ट में लगाया गया धन 5000 (पाँच हजार मात्र) नगद धनराशि श्री सतेन्द्र बघेल द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गयी है।

भारतीय न्याय अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व को आवद्ध होता है। जिससे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है। सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा।

Satendra.

ख्याली राम

Scanned by CamScanner

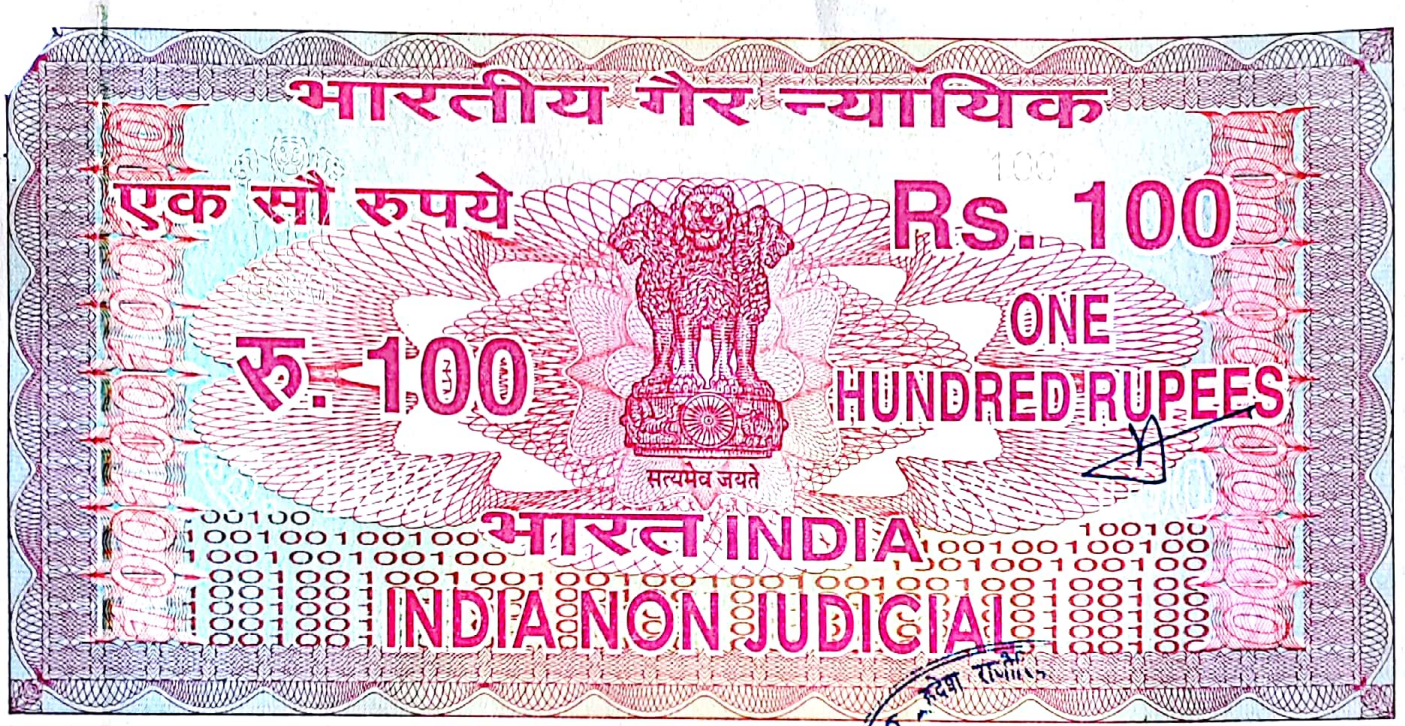

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
- 8 NOV 2019
FD 961642
राजकीय कोषागार, फिरोजाबाद

5. **ट्रस्ट के तत्व :—**

मुख्य ट्रस्टीगण द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है :— ट्रस्ट एक प्रकार का आभार सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व में आवद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है। ट्रस्ट का रचियंता सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आवद्ध करेगा।

इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है। उपरोक्त अधिनियम व तथ्यों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे :—

	नाम ट्रस्टी	पिता / पति	पता	पद
1.	सतेन्द्र बघेल	ख्यालीराम बघेल	सिकरारी, कोटकी, टूण्डला	मुख्य ट्रस्टी / प्रमुख ट्रस्टी / प्रबन्धक / सचिव
	आधार—342129731521, पैन कार्ड—CJEPB7891P			
2.	सतीश कुमार	ख्यालीराम बघेल	सिकरारी, कोटकी, टूण्डला	ट्रस्टी / अध्यक्ष
	आधार—334282277442, पैन कार्ड—BVIPK9820N			
3.	ख्यालीराम	स्व. हरी सिंह	सिकरारी, कोटकी, टूण्डला	ट्रस्टी / कोषाध्यक्ष
	आधार—272449446198, पैन कार्ड—AUVPR5891F			

6. **ट्रस्ट के उद्देश्य :—**

1— शिक्षा विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्थापना सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. / उ.प्र. शिक्षा बोर्ड पर आधारित स्कूल कॉलेजों की स्थापना करना तथा निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी, व्यवसायिक, मैडीकल कॉलेज, औद्योगिक एवं

Satendra ख्यालीराम

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

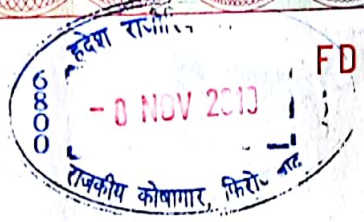

FD 961643

ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक–युवतियों को स्वालम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना।

2– मजदूरों/कारीगरों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनके बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, बच्चों की सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीड़ा केन्द्रों, व्यायामशाला,, आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना तथा निर्धन, अनाथ, अपंग बच्चों, मेघावी बच्चों को छात्रवुत्तियां दिलाना। खेलों को बढ़ावा देना तथा समय–समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा उत्कृष्ट/विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना।

3– ट्रस्ट का उद्देश्य नागरिकों के सर्वागीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन वस्तियों में स्वच्छता,, परिवार नियोजन, शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय–समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना एवं सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की येाजनाऐं चलाना।

4– नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स, कैंसर, हैपटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एवं मद्य निषेध कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाना।

5– ट्रस्ट का उद्देश्य समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं निःशुल्क जागरूकता शिविरों, निःशुल्क स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र रक्षा कैम्पों, विचार गोष्ठियों, राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों ,

Scanned by CamScanner

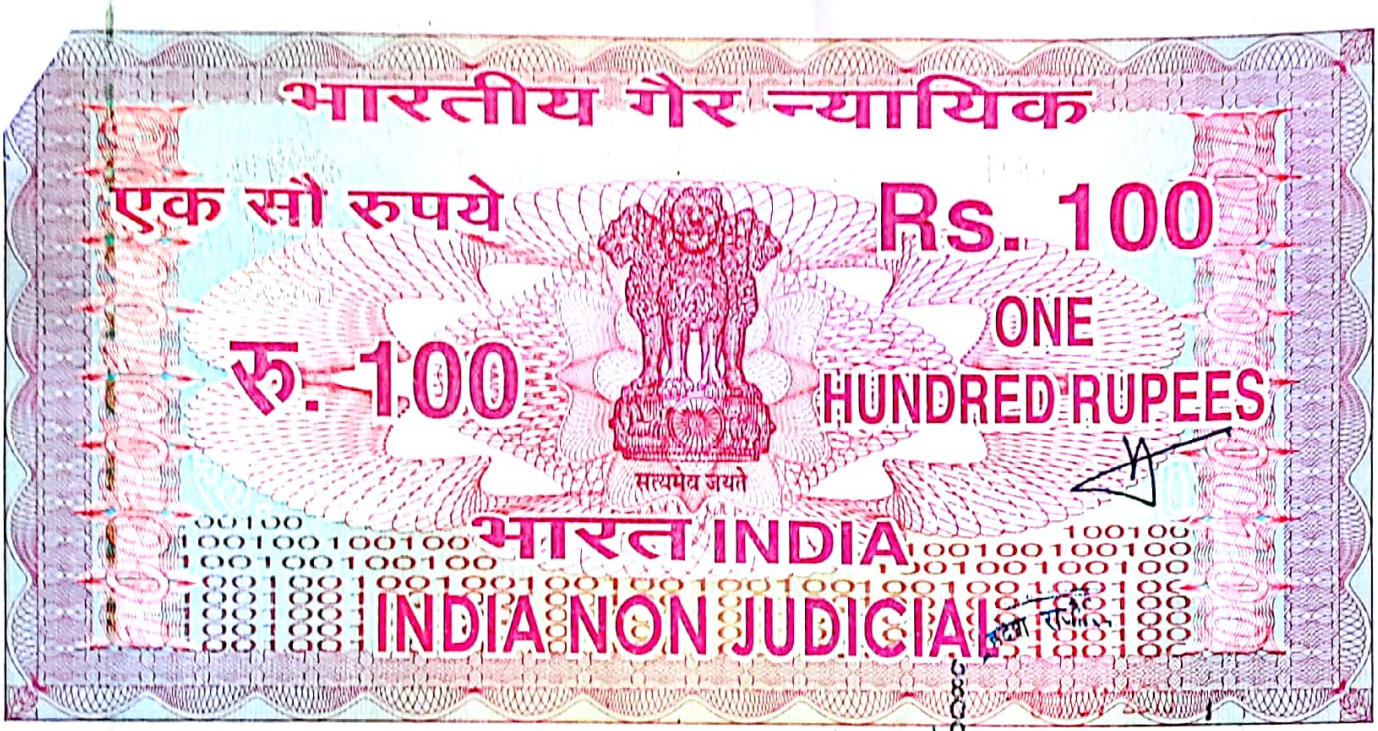

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

राजकीय कोषागार, ED 961644

कला प्रदर्शनी, प्रोढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम एवं गरीबी उन्मूलन, मद्य निषेध कार्यक्रम चलाना।

6– देश–विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से वित्तीय अनुदान, ऋण, सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना।

7– युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक विकास आपसी सद्भावना जैसे मूल्यों का विकास करना तथा उनके प्रचार–प्रसार में सहयोग देना। राष्ट्रीय विकास एवं समाज सेवा के कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना।

8– युवाओं को उपभोक्ता फोरम जैसे अधिनियम की जानकारी देना व उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना व उन्हें निःशुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

9– ट्रस्ट का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों धर्मशाला एवं अन्य संस्थाओं , शिक्षा संस्थानों में निःशुल्क औषधालयों का निर्माण व उनके संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना।

10– ट्रस्ट का उद्देश्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित योजनाओं में सहयोग व योगदान देना।

11– योग, प्राकृतिक तथा भारतीय पुरातन और नवीन चिकित्सा पद्वति के माध्यम से विभिन्न संक्रामक व असाध्य रोगों से नागरिकों को मुक्त कराने का प्रयास करना, शारीरिक शिक्षा केन्द्रों, योग साधना केन्द्रों व निःशुल्क चिकित्सालयों/औषधालयों की स्थापना करना।

12– निराश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के काल्याण के लिये विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FD 961645

चलाना, आँगनबाड़ी, बालवाड़ी, नारी निकेतन, प्रौढ, शिक्षा केन्द्रों व बालश्रमिक बच्चें के उत्थान के लिये बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन सेवा योजकों द्वारा अल्प आयु के बच्चों को बाल श्रमिक रूप में सेवा योजित न होने देना।

13– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, नियम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से युवक एवं युवतियों के आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु शुलभ रोजगार परक प्रशिक्षण जैसे–सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्प कला, वास्तु कला, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्रइंग पेंटिंग कला तथा टंकण तथा आंशुलिपिक व निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण, फैशन डिजाइनिंग, टैक्सटाइल, ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्म निर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना।

14– शहरी एवं ग्रामीण विकास हेतु सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा विकास हेतु विभिन्न योजनाओं जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं पानी की समस्या हेतु हैण्ड पम्प, टंकी लगवाना, सड़क खडंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों सामुदायिक केन्द्रों, आश्रय स्थल की स्थापना करना।

15– पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना एवं जगहं–जगह वृक्षारोपण कराना व बढ़ते प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना।

16– उन्नति कृषि को बढ़ावा देने के लिये किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना तथा किसानों में उन्नतशील बीजों व जैविक खाद के उपयोग, प्रचार प्रसार तथा किसानों की समस्याओं को सुलझाना व शासन प्रशासन तक पहुँचाना। सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को चलाना व खाली पड़ी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FD 961646

ऊसर–बंजर भूमि पर सघन वृक्षारोपण कर वनीकरण को बढ़ावा देना व अवैध लकड़ी कटाई को रोकने में सरकार का सहयोग करना।

17– ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, मतस्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन व कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करना। पशु धन जानवरों के स्वास्थ्य संरक्षण, संवर्धन का कार्य करना बीमार पशुओं व अन्य जीवों के लिये पशु चिकित्सालय, पशुशाला, गौर संवर्धन व संरक्षण व गौशाला की व्यवस्था करना तथा जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

18– खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत फलों का संरक्षण, प्रशोधन, पैकिंग करना व पाकृतिक वस्तुओं को खाने योग्य बनाना व उनके विपणन की व्यवस्था करना।

19– जल प्रबन्धन, कृषि अभियन्त्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्रामोद्योग यान्त्रिक आविष्कार, अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य करना तथा समाज के उपेक्षित लोगों जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी, मूक बधिरों, विकलांगों, निराश्रित, लाचार, बच्चों, वृद्धजनों के लिये कार्य करना, बाल आश्रम अनाथालय एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना करना।

20– अपारम्परिक ऊर्जा श्रोत संयत्रों जैसे– गोबर गैस, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन एवं विकास करना।

21– महिलाओं को स्व रोजगार एवं आत्म निर्भरता प्रदान करने के लिये स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

7. **ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य :–**

ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन एवं दान आदि की धनराशि ट्रस्ट

Satendra

Scanned by CamScanner

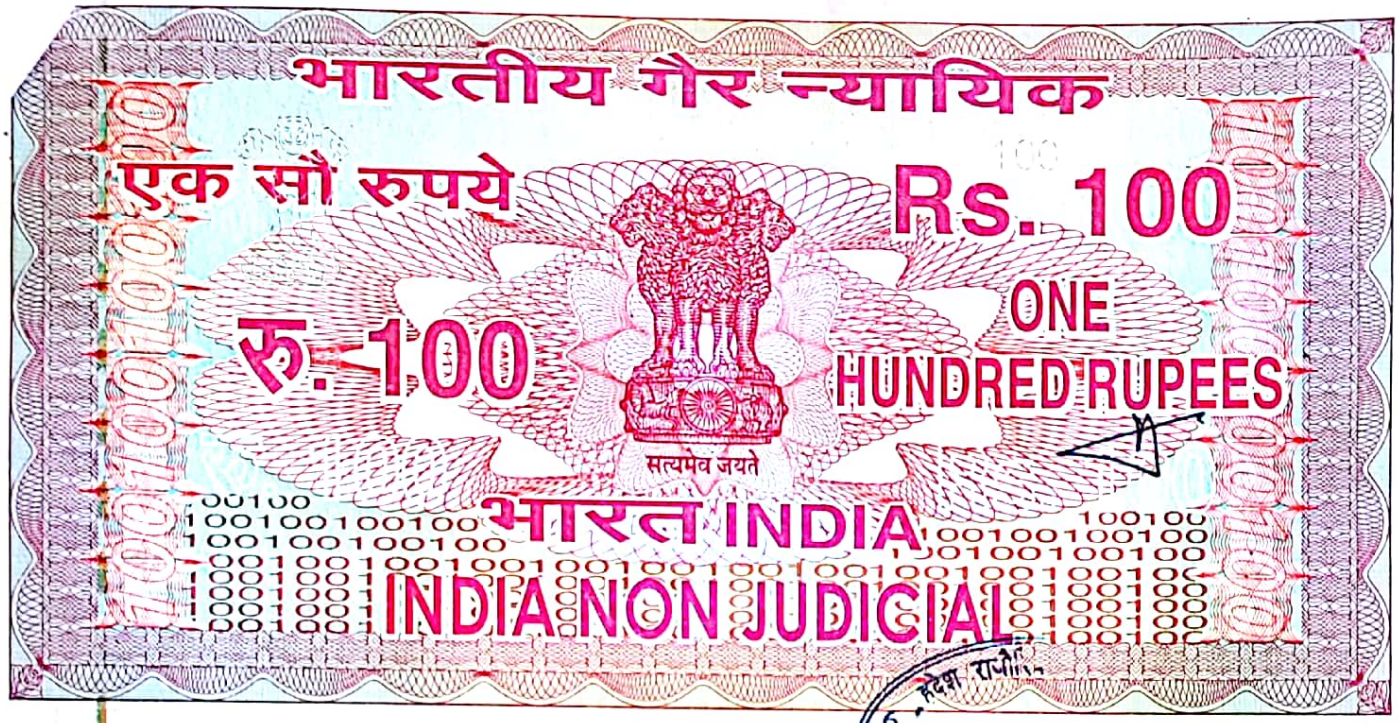

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

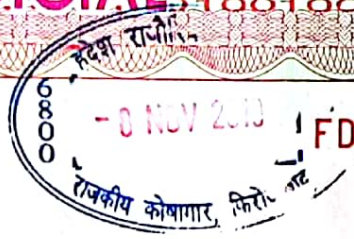

FD 961647

के द्वारा खोले गये खातों में किसी राष्ट्रीकृत बैंक में जमा की जायेगी जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। उक्त धनराशि के लेन–देन करने (बैंक खाता ऑपरेटर करने के लिये) मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर से ही बैंक से धन निकाला जायेगा।

8. **ट्रस्टियों की नियुक्ति :–**

अध्यक्ष व सचिव आजीवन इस ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष व सचिव ट्रस्टी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उनके द्वारा नामित अथवा उनका उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे। उत्तराधिकारी में ट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र, पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री ट्रस्टी होगी। ट्रस्ट के सामान्य सदस्यों की नियुक्ति व सेवा निवृत्ति करने का अधिकार आजीवन ट्रस्ट के अध्यक्ष व सचिव का होगा।

9. **संचालित संस्थानों की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य :–**

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/मन्दिर/अन्य संस्थानों जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होगी, की प्रबन्ध समितियों का गठनमुख्य ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

10. **ट्रस्ट प्रमुख :–**

श्री सतेन्द्र बघेल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी होंगे। इनकी मृत्यु उपरान्त इनके द्वारा नामित व्यक्ति

Satendra

Scanned by CamScanner

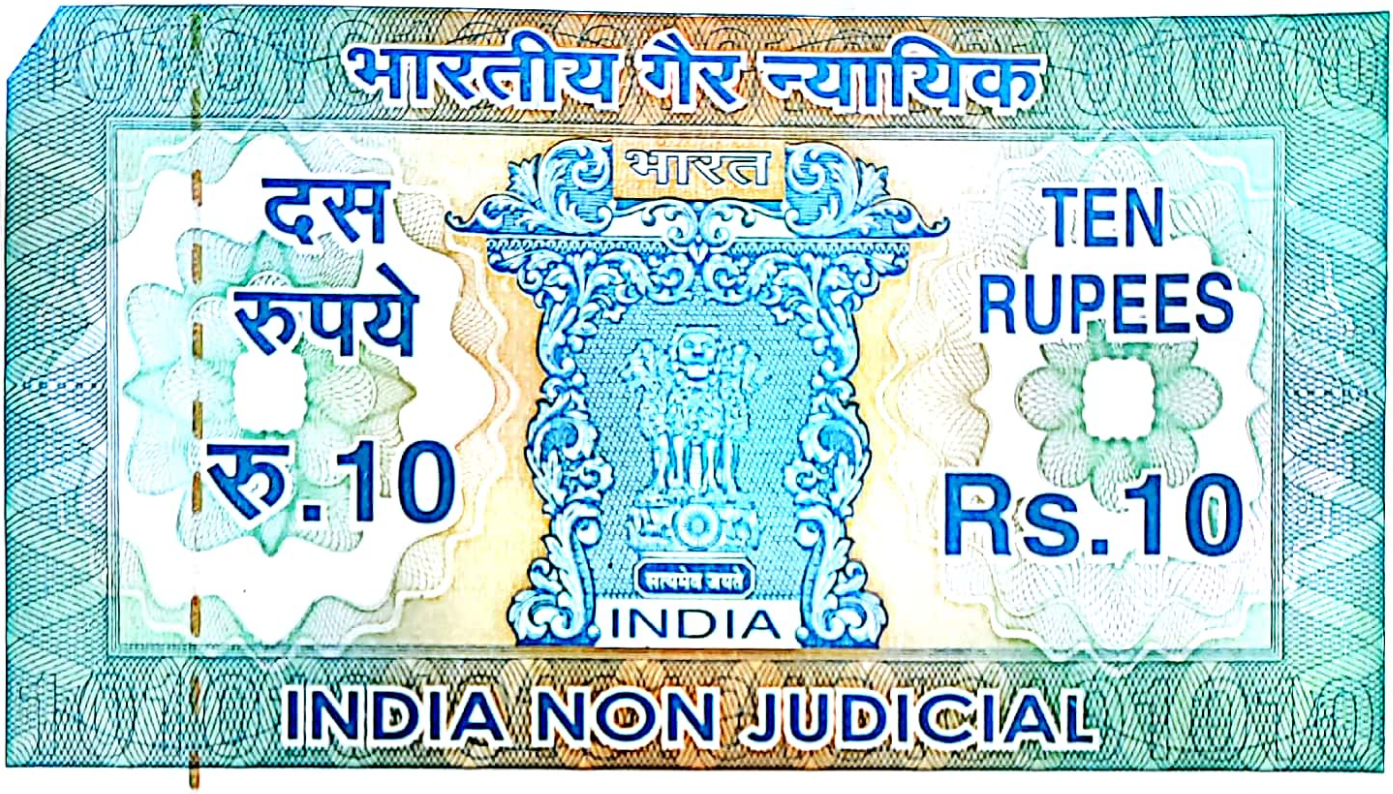

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 92AD 810708

अथवा इनका उत्तराधिकारी ही मुख्य ट्रस्टी होंगे , उत्तराधिकारी में ट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र, पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री ट्रस्टी होगी।

11. **ट्रस्टियों की संख्याः—**

ट्रस्टियों की संख्या ट्रस्टी सहित 3 होगी जिसमें वर्तमान में मुख्य ट्रस्टी सहित निम्न ट्रस्टी होंगे।

	नाम ट्रस्टी	पिता/पति	पता	पद
1.	सतेन्द्र बघेल	ख्यालीराम बघेल	सिकरारी, कोटकी, टूण्डला	मुख्य ट्रस्टी/प्रमुख ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव
2.	सतीश कुमार	ख्यालीराम बघेल	सिकरारी, कोटकी, टूण्डला	ट्रस्टी/अध्यक्ष
3.	ख्यालीराम	स्व. हरी सिंह	सिकरारी, कोटकी, टूण्डला	ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष

12. **ट्रस्ट की बैठक :—**

ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (सात दिन) पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय चौबीस घण्टे पहले सूचना देकर बुलाई जा सकती है। बैठक केवल मुख्य ट्रस्टी स्वयं अथवा ट्रस्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही बुला सकता है।

13. **गणपूर्तिः—**

बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 ट्रस्टियों का होना अनिवार्य है।

Satendra ख्यालीराम

Scanned by CamScanner

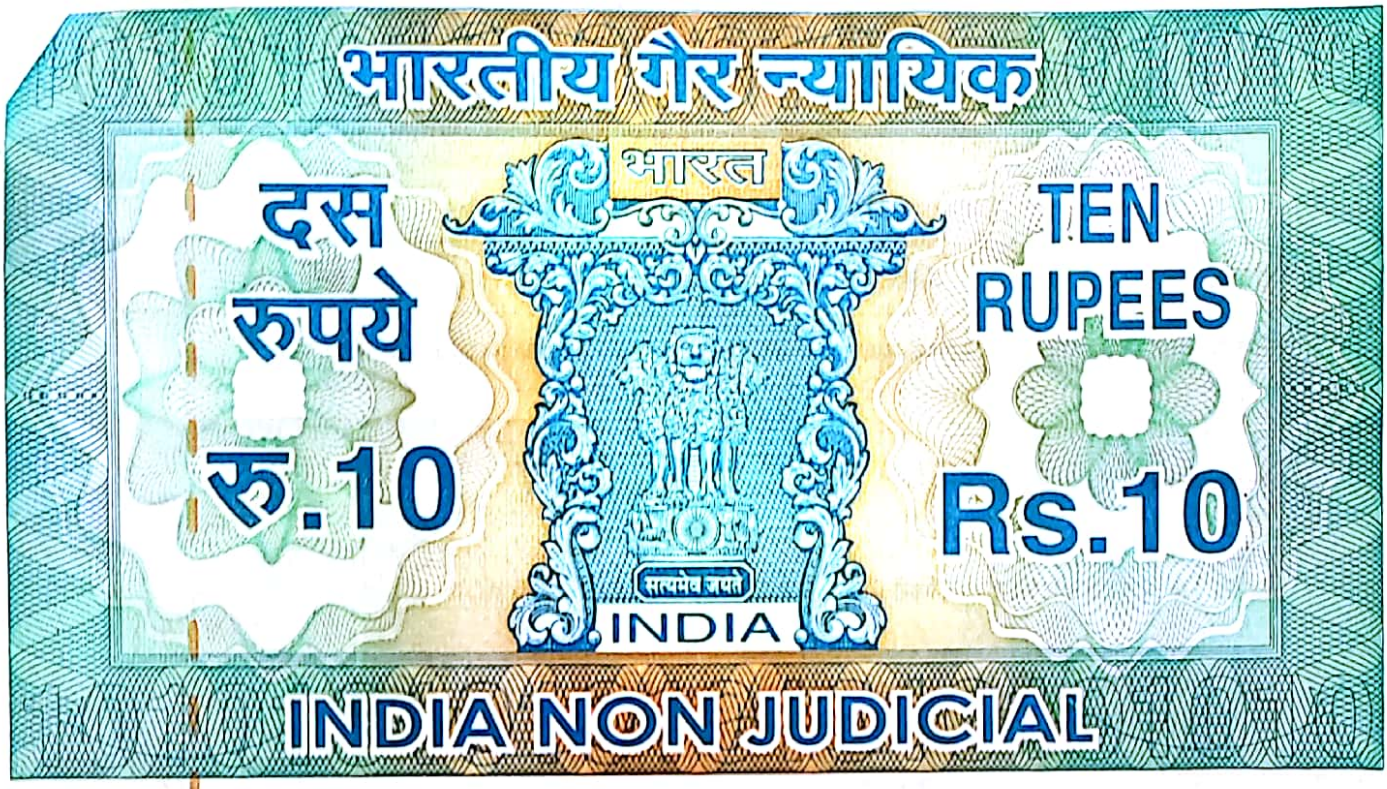

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

92AD 810709

14. **ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारीगण एवं उनके अधिकार व कर्तव्य :–**

ट्रस्ट को संचालित व देखभाल करने के लिये मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष व मुख्य ट्रस्टी द्वारा नियुक्त प्रबन्धक/सचिव जिसे ट्रस्टियों में से ही नियुक्त किया जायगा, ही पदाधिकारी होंगे।

15. **अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य :–**

1– ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा की अध्यक्षता करेंगे।

2– मीटिंग बुलाने के लिये प्रबन्धक को निर्देश देना।

3– यदि प्रमुख ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव व अन्य ट्रस्टी द्वारा कोई भी कार्य द्वेष भावना से किया गया है तो अधिकार होगा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें और सभी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

4– ट्रस्ट व ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के सदस्य अथवा पदाधिकारीगण मुख्य ट्रस्टी के आदेशों की अवहेलना, अनुशाशनहीनता आदि करते हैं, तो अध्यक्ष तत्काल प्रभाव से उन्हें निलम्बित या निष्कासित कर संस्थाओं की प्रबन्ध समिति में अन्य विद्वानों को मनोनीत कर सकते हैं।

16. **मुख्य ट्रस्टी/प्रमुख ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के अधिकार व कर्तव्य :–**

प्रमुख ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अध्यक्ष की लिखित अनुमति से निम्न कार्यो का सम्पादन करेंगे।

Satendra

रव्यालीराम

Scanned by CamScanner

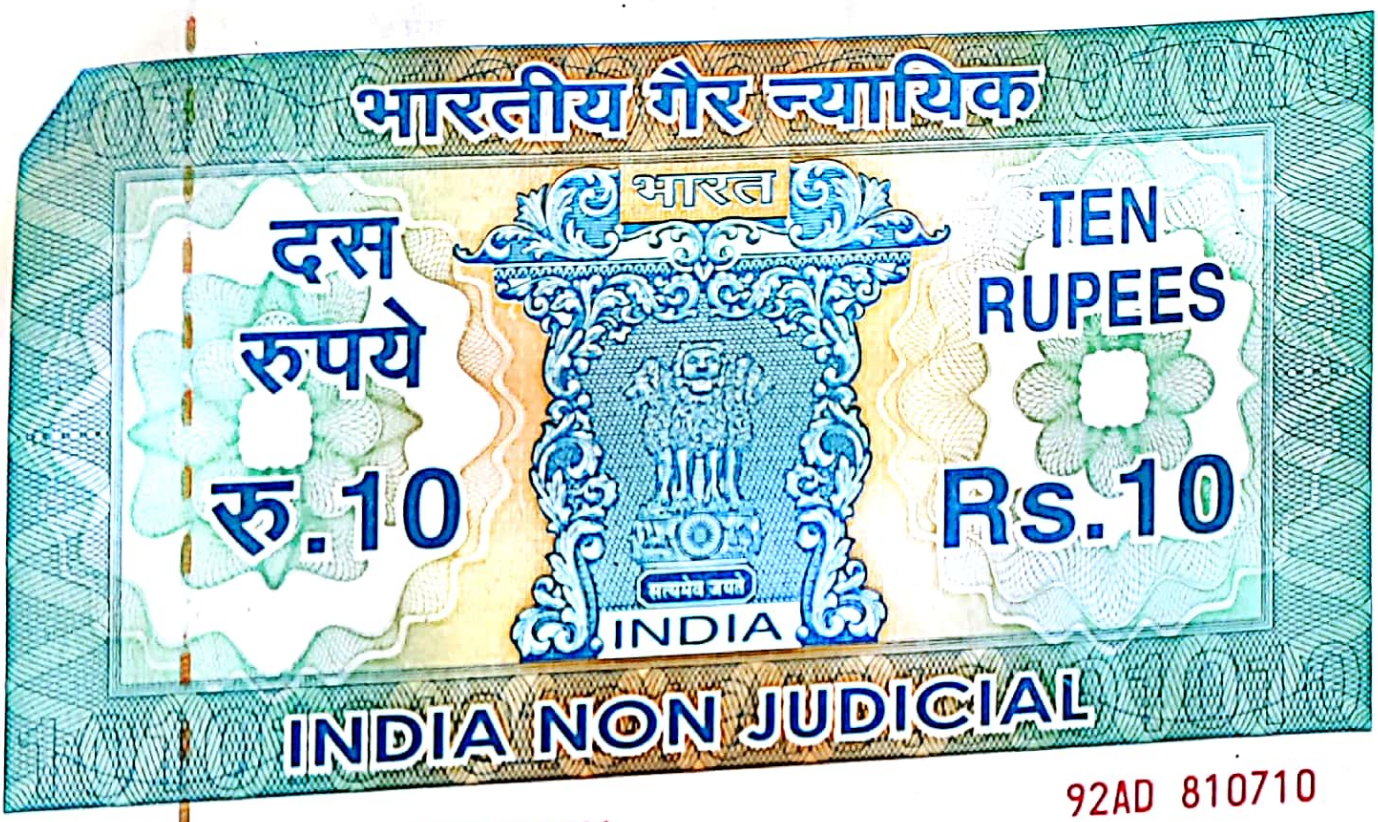

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

92AD 810710

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1— ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, बैठक बुलाना तथा उनकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, बैठक कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

2— संस्था के समस्त दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों ड्राफ्टों बन्धक विलेखों, के बिल बाउचर प्रमुख ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षर से ही संचालित होंगे।

3— ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना व उनका प्रचार–प्रसार करना।

4— ट्रस्ट के हित में दान, चन्दा प्राप्त करना तथा ट्रस्ट के कोष में जमा करना। ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देखभाल करना।

5— दान–अनुदान, चन्दा प्राप्त करना व उसकी रसीद देना, ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण करना।

6— ट्रस्ट की ओर से सभी प्रकार की अदालती कार्यवाहियों को प्रतिनिधित्व करना एवं वादों की पैरवी करना।

7— ट्रस्ट व ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में चल व अचल सम्पत्ति को क्रय–विक्रय, दान–अनुदान आदि से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रभुत्व प्रमुख ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव का ही होगा।

17. **लेखा परीक्षक :–**

आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं एवं अनावश्यक समझे जाने पर मुख्य ट्रस्टी हटा भी सकते हैं। लेखा परीक्षक का कार्य ट्रस्टी मुख्य के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा

Scanned by CamScanner

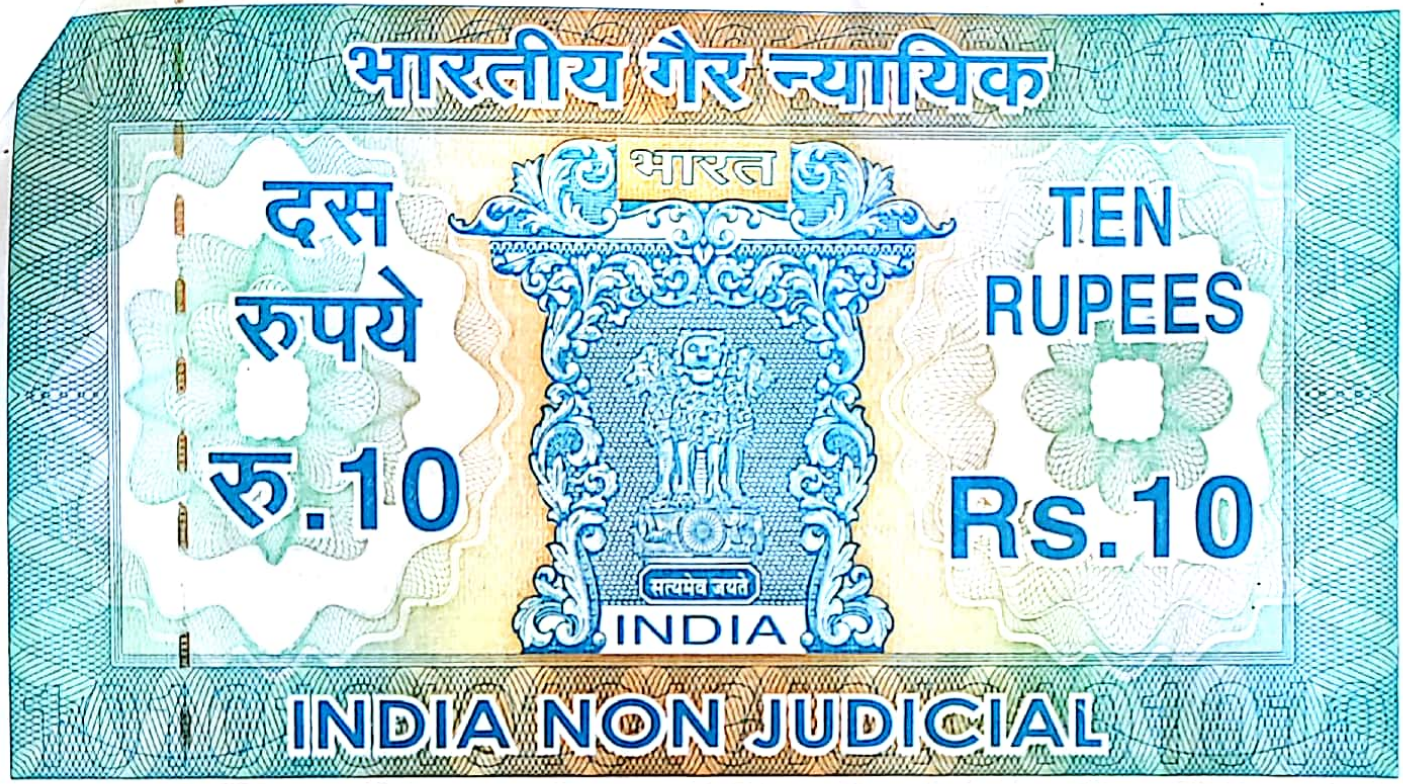

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 92AD 810711

सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब–किताब व लेखा–जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आड़िट आदि करायेगा। ट्रस्ट के आय व्यय एवं वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जांच हेतु मुख्य ट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

18. **संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठनः–**

1– ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिये प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

2– ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/विद्यालय/महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकरियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना (उच्च शिक्षा) के अनुरूप हौंगे।

3– ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/महाविद्यालयों के संचालन के लिये प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य ट्रस्टी करेंगे। प्रबन्ध समिति में कुछ सदस्य ही ट्रस्टियों में से रहेंगे तथा शेष सदस्य समाज सेवी व विद्वान व्यक्तियों में से हौंगे। इन्हें प्रबन्ध समिति में कुछ ट्रस्टी मण्डल में से तथा कुछ समाज सेवी विद्वानों में से मुख्य ट्रस्टी ही मनोनीत करेंगे तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में मुख्य ट्रस्टी ही प्रबन्ध/सचिव रहेंगे। संचालित संस्थान/महाविद्यालय निम्न पदाधिकारी हौंगे।

अध्यक्ष–1, उपाध्यक्ष–1, प्रबन्ध/सचिव–1, उपसचिव–1, कोषाध्यक्ष–1, लेखा परीक्षक–1, सदस्य–5 उपरोक्त ट्रस्ट का गठन दिनांक 13.11.2019 को साधारण जनता के हितों व लाभों के लिये किया गया है। ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/डिग्री कॉलेजों का संचालन किया जाना वृद्ध, निर्बलों, असहायों, विकलांगों, परित्यक्ता, महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना व ट्रस्ट

Satandra

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 92AD 810712

सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णोद्वार करने, निर्धन कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथा समय निर्धनों का दान आदि देने का कार्य उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्य ट्रस्टी द्वारा राजी खुशी से बिना गहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दवाब के अपने पूर्ण होश हवाश में परिवारीजनों/रिश्तेदारों से सलाह मशविरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। वर्तमान में उक्त ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है और उसका कार्यालय भी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है।

तहरीर तारीख 13.11.2019 ई0 मसविदा दिया टीकम सिंह बघेल एडवोकेट तहसील टूण्डला जिला–फिरोजाबाद।

गवाह–1 : पवनोद प्रकाश पुत्र श्री विनोद प्रकाश नि0 शिवसिंहपुर पो0 जारखी जिला–फिरोजाबाद
आधार–895318881674 पैन कार्ड–CIWPP2216F

पवनोद प्रकाश

गवाह–2: टीकम सिंह बघेल एडवोकेट तहसील टूण्डला जिला–फिरोजाबाद

ADVOCATE

Scanned by CamScanner